

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक / एफ / अका0 / पाठ्यक्रम / 2022 / 969

दिनांक : 23/09/22

अधिसूचना

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा हिन्दी अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

अधिनियम की धारा

नाम निर्देशित सदस्य का नाम

28(2)एक

1. रिक्त

28(2)दो

- डॉ० शशिप्रभा पौराणिक (प्राध्यापक)
शा० एम०एल०बी० उत्कृष्ट महा० ग्वा०।
- डॉ० इला शुक्ला (प्राध्यापक)
शा० के०आर०जी० स्वशासी महा० ग्वा०।

28(2)तीन

1. रिक्त

28(2)चार

- डॉ० आशा कुमारी वर्मा (सहा प्राध्यापक)
शा० एस०एल०पी० महा० मुरार ग्वा०।
- डॉ० श्रीमती कृष्णा सिंह (सहा प्राध्यापक)
शा० के०आर०जी० स्वशासी महा० ग्वा०।

28(2)पाँच


- डॉ० शिवकुमार शर्मा (सहा प्राध्यापक)
माधव महाविद्यालय ग्वालियर।
- डॉ० साधना दीक्षित (प्राध्यापक)
शा० स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरैना।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपतिजी द्वारा डॉ० शशिप्रभा पौराणिक (प्राध्यापक) को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2022 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- हिन्दी अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
- उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव (गोपनीय / अकादमी / परीक्षा), जी०वि०वि०, ग्वालियर।
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- इंचार्ज, सभा शाखा, / शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहा-कुलसचिव(अकादमी)